

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 2091/2011/जोधपुर.

2. अपील संख्या - 2092/2011/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘ए’, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आर्टीसन एलायंस,

4-ए, इन्कम टैक्स कॉलोनी, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


दिनांक : 16/04/2015

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 5 व 135/आरवेट/जेयूए/09-10 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 23.02.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा हैण्डिक्राफ्ट गुड्स का निर्माण कर निर्यात विक्रय किया जाता है। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त-‘अ’, जोधपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2006-07 व 2007-08 का वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 22.02.2009 व 26.08.2009 को पारित किया जाकर प्रत्यर्थी द्वारा निर्यात हेतु विनिर्मित माल के निर्माण में प्रयुक्त प्रोसेसिंग गुड्स व पैकिंग मैटेरियल पर चुकाये गये वेट का आगत कर का रिफण्ड/प्रतिदाय नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.02.2011 से अपीलें स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।



लगातार.....2

4. अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रोसेसिंग सामग्री की खरीद पर चुकाये गये आगत कर का प्रतिदाय देय नहीं है। अतः रिफण्ड का इस सीमा तक दावा अस्वीकार किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार की हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि हैण्डिक्राफ्ट्स के निर्माण के प्रयुक्त प्रोसेसिंग गुड्स व पैकिंग मैटेरियल पर चुकाया गया आगत कर प्रतिदाय योग्य है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18 का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।


6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण की परिस्थितियों के मद्देनजर वेट अधिनियम की धारा 18(1) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

18. Input Tax Credit. -

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or




(g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

8. वेट अधिनियम की धारा 18(1) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा निर्यात के क्रम में विनिर्मित माल के निर्माण हेतु प्रयोग में लिये गये प्रोसेसिंग गुड्स व पैकिंग मैटेरियल पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय/अनुमति देने योग्य है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्यात किये गये माल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. अस्वीकृत किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सीमा तक कर निर्धारण आदेश अपारत किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व की दोनों अपीलों अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 23.02.2011 की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


16.04.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य